(a) whether there is any proposal under Government consideration for setting up of a High Court Bench at Dibrugarh in upper Assam; and

(b) what is the present position of the proposal?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI RANGARAJAN KUMARA-MANGLAM): (a) and (b) The Gov ernor of Assam had, in support of a resolution of All Assam Lawyers Ass ociation, recommended in March this year that at least a Circuit Bench of the High Court of Gauhati should be set up to dispose off cases in the dis tricts. The Governor was informed that according to Section 31(3) of the North-Eastem Areas (Reorganisation) Act, 1971 the Judges and Division Courts of the High Court may be set up at such other place or places as the Chief Justice may, with the app roval of the Governor appoint. In view of this the Chief Justice could take the appropriate action with the approval of the Governor. The State Government may hav© to be consul ted as they have to provide the neces sary infra-structure.

Vacant posts of Judges in Guwahati High Court

1060. SHRI BHADRESWAR BURA-GOHAIN: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) what is the number of posts of judges lying vacant in the Cuwahati High Court;

(b) the time sinc$_e$ when these vacancies are lying;

(c) what steps are being taken by Government to fill up these vacancies; and

(d) by when these are likely to be filled up?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, * JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI RANGARAJAN KUMARA-MANGALAM): (a)' to (d) The sanctioned strength of the Guwahati High Court is 13 permanent Judges. At present, 12 permanent Judges are in position leaving 1 vacancy of a permanent Judge which arose on 22-3-91.

The process of consultation to fill up the existing vacancy is on. It is not possible to indicate precisely by when this post is likely to b$_e$ filled up.

युवतियों का व्यापार

1061. **श्री राम सिंह राठवा :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को युवतियों के व्यापार के बारे में कोई सूचना प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान, राज्य-वार ऐसी कितनी घट-नाओं की जानकारी मिली है ; और

(ग) इस अनैतिक व्यापार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

युवा कार्य तथा खेल और महिला एवं बाल विकास विभाग में राज्य मंत्री (कु० ममता बैनर्जी) : (क) और (ख) भारत सरकार को महिलाओं के अनैतिक व्यापार के बारे में जानकारी है । इसने ऐसे ही व्यापार को रोकने और इसे नियंत्रित करने के लिए अनैतिक पण्य (दमन) अधिनियम, 1956 बनाया है । इस अधिनियम की राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है । पिछले तीन वर्षों के दौरान अनैतिक पण्य (दमन) अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड मामले दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ग) गृह मंत्रालय ने इस सामाजिक बुराई पर रोक लगाने और इसे समाप्त करने के लिए राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों को कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं ।

महिलाओं के निम्न दर्जे के कारण ही वे इस प्रकार के शोषण की शिकार होती हैं । सरकार ने महिलाओं का दर्जा उन्नत करने के लिए कार्यक्रम विभिन्न शुरू किए हैं और शैक्षणिक अवसरों, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकसित करने और इसे उन्नत करने, रोजगार ऋण तथा विपणन तक उनकी पहुंच बढ़ाने के लिए सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं । महिलाओं की समस्याओं को उजागर करने, उन्हें सकारात्मक और स्वतंत्र भूमिकाओं में प्रदर्शित करने और महिलाओं का दर्जा बढ़ाने की आवश्यकता के बारे में सामान्य स्तर पर जन जागृति बढ़ाने के लिए मीडिया प्रयासों में वृद्धि की गई है । महिलाओं में जागरूकता उत्पन्न करने, उनमें स्वाभिमान की भावना जगाने और उन्हें उनके अधिकारों और कानूनों की जानकारी देने के लिए भी कार्यक्रम शुरू किए गए हैं । अल्पावास गृह और परामर्श केन्द्र, सुरक्षा और मार्ग दर्शन करने की सुविधायें प्रदान करते हैं ।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	1988	1989	1990
1	2	3	4	5
	राज्य			
1.	आन्ध्र प्रदेश	1405	1633	1182
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
3.	असम	10	9	4
4.	बिहार	10	11	लागू नहीं
5.	गोआ	86	97	80
6.	गुजरात	5	2	लागू नहीं
7.	हरियाणा	—	2	2
8.	हिमाचल प्रदेश	1	—	—
9.	जम्मू और काश्मीर	—	—	—
10.	कर्नाटक	2673	2609	लागू नहीं
11.	केरल	72	133	58
12.	मध्य प्रदेश	2	3	5
13.	महाराष्ट्र	861	660	लागू नहीं
14.	मणिपुर	4	8	1
15.	मेघालय	1	—	—

1	2	3	4	5
16.	मिजोरम	2	--	--
17.	नागालैंड	--	--	1
18.	उड़ीसा	10	--	लागू नहीं
19.	पंजाब	2	1	1
20	राजस्थान	139	144	लागू नहीं
21.	सिक्किम	--	--	--
22.	तमिलनाडु	9879	7215	11160
23.	त्रिपुरा	--	--	--
24.	उत्तर प्रदेश	659	386	242
25.	पश्चिमी बंगाल	42	200	लागू नहीं
	कुल (राज्य)	15862	13193	
	केन्द्र शासित प्रदेश :			
26.	अण्डमान और निकोबार	--	--	--
27.	चण्डीगढ़	--	--	--
28.	दादर और नागर हवेली	--	--	--
29.	दमन और दिव	--	--	--
30.	दिल्ली	73	117	192
31.	लक्षद्वीप	--	--	--
32.	पांडिचेरी	54	156	141
	(के० शा०प्र०)	127	273	
	योग (संपूर्ण भारत)	15989	13466	

टिप्पणी : 1 दमन और दीव के आंकड़े वर्ष 1986 के लिए अलग से उपलब्ध नहीं हैं और यह आंकडे गोआ के आंकड़ो में शामिल हैं क्योंकि राज्य गोआ अलग राज्य बनने के पूर्व गोआ, दमन और दीव एक केन्द्र शासित प्रदेश था ।

2 बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान तथा पश्चिमी बंगाल के राज्यों से वर्ष 1990 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

3 वर्ष 1990 के आंकड़े पूर्ण नहीं हैं तथा इन्हें अनन्तिम माना जाए ।